अध्याय VI
सुलझाए गए मामले

6.1 सुलझाए गए मामले में वे हैं जहां एसएएसएफ उधारकर्ताओं अथवा न्यायालय/एसएएसएफ/असाइनी द्वारा उधारकर्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्तियां निपटाई गयी थी और एसएएसएफ ने नकद/शेयरों के माध्यम से अपने बकायों का भाग वसूल किया, किन्तु वसूली का भाग लंबित था।

6.2 एनएलओ से कम निपटान

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 15 सुलझाए गए मामलों में से 10 मामलों में निपटान राशि/वसूली गई राशि ₹ 1590.49 करोड़ की कुल कम वसूली सहित एनएलओ धनराशि से कम थी। नीचे दी गई तालिका 10 मामलों के संबंध में निपटान राशि, सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मूल्य आदि का उधारकर्तावार विवरण दर्शाती है:

₹ करोड़ में

क्र. सं.	अनुबंध I के अनुसार क्रमांक	उधारकर्ता का नाम	प्रमोटर का नाम	एनएलओ	उधारकर्ता की सम्पत्तियों का मूल्य	एसएएसएफ का अनु-पातिक शेयर	निपटान राशि	शेयर सहित कुल वसूली	निपटान राशि की तुलना में कम वसूली या कुल वसूली जो भी अधिक हो
1	सी का 1	एसजेके स्टील्स प्लांट लिमिटेड	श्री वाई. जितिन कुमार और श्री वाई. जनार्दन राव	603.42	लागू नहीं क्योंकि सीडीआर पैकेज ओटीएएस में बदल दिया गया	लागू नहीं	290.00	362.18	241.24
2	1	मालविका स्टील लिमिटेड	ऊषा ग्रुप के श्री विनायक राय और श्री अनिल राय	594.54	216.21	61.07	41.78	29.09	565.45
3	3	बेल्लारी स्टील्स एंड अलॉयज लिमिटेड	श्री एस. माधव	398.71	206.00	67.98	67.98	67.98	330.73
4	4	उषा इस्पात लिमिटेड	ऊषा ग्रुप के श्री विनय राय और श्री अनिल राय	321.80	93.18	45.97	48.07	48.07	273.73
5	7	एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	पल्लोनजी सपूरजी मिस्त्री	123.72	लागू नहीं	लागू नहीं	23.19	23.19	100.53

6	12	रजिंदर स्टील्स लिमिटेड	श्री डी. एस. बत्रा	69.22	59.52	37.16	37.16	29.93	39.29
7	29	विरल फिलामेंट्स लिमिटेड	श्री के. के. खंडेलवाल और श्री एम. एल. खंडेलवाल	36.77	4.10	4.10	4.60	4.60	32.17
8	57	जे डी ऑर्गोकेम लिमिटेड	श्री शरद चंद्र कोठारी, श्री महेन्द्र कोठारी एंड एसोसिएट्स	20.95	14.28	3.92	18.75	15.39	5.56
9	551	कुणाल इंजीनियरिंग	श्री दीपक बैंकर	1.48	0.30	0.30	0.30	0.28	1.20
10	564	बाबा एंड साई होटल्स लिमिटेड	श्री एस. श्रीकांत एंड सन्स, श्री के. प्रदीप और श्री एस. श्रीधर	1.31	1.18	0.89	0.72	0.72	0.59
		कुल		**2,171.92**				**581.43**	**1,590.49**

(नोट # 1 एसएएसएफ द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदत्त स्थानान्तरण नोट से संकलित प्रमोटरों के नाम।

यह देखा जा सकता है कि 10 मामलों में से एक मामले (एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड) में परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप ट्रस्ट का शेयर भी उपलब्ध नहीं था। एसजेके स्टील्स प्लांट लिमिटेड के मामले में, ट्रस्ट का अनुपातिक शेयर उपलब्ध नहीं था। चूँकि नीति में प्रावधान था कि उपलब्ध आनुषंगिक (आनुपातिक आधार पर) के साथ-साथ सांविधिक देयताओं और मजदूरों के बकायों सहित सुरक्षा का मूल्य निपटान का आधार था, वसूली के लिए क्षमता का पता लगाने हेतु मूल्यांकन करना आवश्यक था।

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि स्टील सेक्टर कंपनियां बड़ी चूककर्ता हैं और ट्रस्ट को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाई हैं। उदाहरणस्वरूप, ऊषा ग्रुप के श्री विनय राय एवं श्री अनिल राय द्वारा प्रमोटेड ऊषा इस्पात लिमिटेड और मालविका स्टील लिमिटेड के संबंध में ₹ 594.54 करोड़ और ₹ 321.80 करोड़ के एनएलओ के प्रति क्रमश: केवल ₹ 41.78 करोड़ (7.03 प्रतिशत) और ₹ 48.07 करोड़ (14.94 प्रतिशत) ही है। कई उधारकर्ता कम्पनियों के प्रमोटरों से व्यक्तिगत गारंटी होने के बावजूद भी ट्रस्ट ने प्रमोटरों के निवल मूल्य का पता लगाने की कोशिश नहीं की ताकि अधिकतम राशि वसूली जा सके।

6.3 10 मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

(i) एसजेके स्टील प्लांट लिमिटेड (एनएलओ ₹ 603.42 करोड़, वसूली ₹ 362.18 करोड़):

इस मामले को स्ट्रेस्ड एसेट्स के अमान्य विनिमय के एक भाग के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया (जून 2006)। स्ट्रेस्ड एसेट्स को ट्रस्ट को स्थानान्तरित करने से ठीक पहले आईडीबीआई ने पार्टी (जिसे जुलाई 2013 में एसएएसएफ द्वारा मान्यता दी गई थी) के लिए कारपोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर) की मंजूरी दी (मई 2006) और अप्रैल 2009 में संशोधित सीडीआर पैकेज (एसएएसएफ बोर्ड द्वारा भी मान्यता प्राप्त) की दुबारा मंजूरी दी। उधारकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के आधार पर (सितम्बर 2012) ट्रस्टीज़ के बोर्ड ने एक ओटीएस की मंजूरी दी (सितम्बर 2012), जिसमें सीडीआर पैकेज के अनुसार, आगामी भुगतानों के छूटप्राप्त मूल्य को ध्यान में रखते हुए ₹ 5.38 करोड़ के लिए ₹ 2.76 करोड़ के इक्विटी शेयरों (ट्रस्ट द्वारा पहले ही अर्जित) को वापस खरीदकर ₹ 20 करोड़ इक्विटी शेयरों को जारी करके ₹ 270 करोड़ के नकद भुगतान की परिकल्पना की गई थी। सीडीआर पैकेज और ओटीएस पैकेज के तहत ट्रस्ट ने मार्च 2013 तक ₹ 359.41 करोड़ प्राप्त किया जिसके कारण ₹ 244.01 करोड़ का नुकसान हुआ। ₹ 2.76 करोड़ के शेयरों के प्रति ट्रस्ट ने पहले ही ₹ 5.38 करोड़ प्राप्त किया था लेकिन ₹ 2.76 करोड़ मूल्य के शेयरों को निवेश अनुसूची से नहीं हटाया गया था।

(ii) मालविका स्टील लिमिटेड (एनएलओ ₹ 594.54 करोड़; वसूली ₹ 29.09 करोड़) और (iv) ऊषा इस्पात लिमिटेड (एनएलओ ₹ 321.80 करोड़; वसूली ₹ 48.07 करोड़)

सरफीजी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत ट्रस्ट ने मै. मालविका स्टील लिमिटेड (एमएसएल) (एनएलओ ₹ 594.54 करोड़) के बकाए की वसूली के लिए इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) को सहमति दी। एमएसएल की पूरी सम्पत्ति ₹ 209 करोड़ में बेची गयी थी जिसमें ट्रस्ट का आनुपातिक शेयर ₹ 61.07 करोड़ आया। हालांकि, आईएफसीआई के अनुसार ट्रस्ट का शेयर ₹ 41.78 करोड़ था लेकिन एसएएसएफ को केवल ₹ 29.09 करोड़ का भुगतान किया गया। शेष ₹ 12.69 करोड़ इस याचिका पर रोक दिया गया कि आईडीबीआई ने आईएफसीआई को देय ₹ 29.52 करोड़ का समायोजन किया था। इसके अलावा कुल ₹ 209 करोड़ की बिक्री में से आईएफसीआई द्वारा विभिन्न खर्चों और अन्य पार्टियों के दावों के प्रति ₹ 66.04 करोड़ रोक दिया गया था जिसमें औचित्य का अभाव था।

ट्रस्ट ने कहा (अगस्त 2013) कि उसने मामले को भारत सरकार को बताया है।

ऊषा ग्रुप के प्रमोटरों द्वारा प्रमोट की गई ऊषा इस्पात लिमिटेड के मामले में ट्रस्ट ने सरफीजी अधिनियम के तहत ₹ 124 करोड़ में परिसम्पत्तियों को बेच दिया। इस बिक्री में एसएएसएफ का शेयर ₹ 45.97 करोड़ था और विभिन्न पार्टियों के दावों को पूरा करने के लिए ₹ 21 करोड़ रोकते हुए शेष राशि को आनुपातिक आधार पर अन्य उधारदाताओं के बीच वितरित कर दिया गया था।

समान प्रमोटरों (ऊषा ग्रुप के श्री विनय राय और श्री अनिल राय) के इन दोनों मामलों में मालविका स्टील के संबंध में वसूली मात्र 7.03 प्रतिशत और ऊषा इस्पात लिमिटेड के संबंध 14.94 प्रतिशत थी। प्रमोटरों ने दोनों ही मामलों में व्यक्तिगत गारंटी दी थी। ट्रस्ट ने हालांकि निपटान करने से पूर्व प्रमोटरों के निवल मूल्य का पता नहीं लगाया। ट्रस्ट के पास न तो प्रमोटरों की सम्पत्ति का विवरण था और न ही उनका आयकर रिटर्न्स। इन दोनों मामलों में कुल हानि ₹ 839.18 आंकी गयी।

(iii) बेल्लारी स्टील एण्ड एलॉय लिमिटेड (एनएलओ ₹ 398.71 करोड़, वसूली ₹ 67.98 करोड़):

ट्रस्ट ने सरफीजी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए आईएफसीआई को अपनी सहमति दी। आईएफसीआई द्वारा सरफीजी अधिनियम के तहत संपत्ति बेच दी गई और ट्रस्ट को ₹ 67.98 करोड़ का अपना आनुपातिक शेयर मिला।

(v) एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएलओ ₹ 123.72 करोड़, वसूली ₹ 23.19 करोड़)

ट्रस्ट ने मै. एसआईवी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (एसआईएल) की परिसम्पत्तियों की बिक्री में प्रभावी बढ़त लेने के लिए एआरसीआईएल को अपनी सहमति दी (2004)। एआरसीआईएल ने मद्रास उच्च-न्यायालय में वसूली याचिका दायर की (2004)। मद्रास उच्च न्यायालय के शासकीय परिसमापक (ओएल) ने ₹ 230.42 करोड़ में एसआईएल की चल और अचल परिसम्पत्तियों को बेच दिया (2009) जिसमें से ट्रस्ट का बकाया ₹ 28.58 करोड़ था। ट्रस्ट ने ₹ 23.19 करोड़ प्राप्त किया (फरवरी 2011) जबकि शेष ₹ 5.39 करोड़ अभी भी शासकीय परिसमापक से प्राप्त किया जाना है।

(vi) रजिंदर स्टील्स लिमिटेड (एनएलओ ₹ 69.22 करोड़, वसूली ₹ 29.93 करोड़)

परिसम्पत्तियों की बिक्री शासकीय परिसमापक द्वारा की गई थी। ट्रस्ट का अनुपातिक शेयर ₹ 37.16 करोड़ था जिसमें से ₹ 26.74 करोड़ का भुगतान शासकीय परिसमापक द्वारा कर दिया गया और शेष ₹ 10.42 करोड़ का भुगतान अभी भी

किया जाना है। ₹ 3.19 करोड़ की अन्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए कुल ₹ 29.93 करोड़ की वसूली करने से ₹ 39.29 करोड़ का नुकसान हुआ।

(vii) विरल फिलामेंट्स लिमिटेड (एनएलओ ₹ 36.77 करोड़; वसूली ₹ 4.60 करोड़)

एसएएसएफ द्वारा सरफीजी अधिनियम के तहत ₹ 4.60 करोड़ में बेच दी गई थी।

(viii) जे डी आर्गोकेम लिमिटेड (एनएलओ ₹ 20.95 करोड़, वसूली ₹ 15.39 करोड़)

ईसी ने ₹ 18.75 करोड़ के ओटीएस की मंजूरी दी (जुलाई 2009)। जिसके प्रति ट्रस्ट को ₹ 15.39 करोड़ प्राप्त हुआ और उधारकर्ताओं द्वारा बताई गई कठिनाइयों के कारण शेष ₹ 3.36 करोड़ माफ कर दिया गया।

(ix) कुणाल इंजीनियरिंग (एनएलओ ₹ 1.48 करोड़; वसूली ₹ 0.28 करोड़)

आईडीबीआई/एसएएसएफ कुछ उपकरणों पर एक विशेष चार्ज लगा रहा था। हालांकि कोई चार्ज नहीं था। शासकीय परिसमापक द्वारा सम्पत्ति बेचने पर इससे ₹ 28 लाख प्राप्त हुआ था।

(x) बाबा एण्ड साई होटल्स (एनएलओ ₹ 1.31 करोड़; वसूली ₹ 0.72 करोड़)

वसूली अधिकारी, डीआरटी, चेन्नई द्वारा सार्वजनिक नीलामी में ₹ 1.18 करोड़ में सम्पत्तियों को बेचने और ₹ 89 लाख के एसएएसएफ शेयर में से इसने ₹ 72 लाख प्राप्त किया। शेष ₹ 17 लाख विवादित है और वसूली कार्रवाई की जा रही है।

10 मामलों में से एक मामले में अर्थात् एसआईवी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं ली गयी थी। शेष नौ मामलों में से केवल एक मामले (एसजेके स्टील्स प्लांट लिमिटेड) में संपत्ति विवरण के साथ व्यक्तिगत गारंटियां उपलब्ध थी। बाकी आठ मामलों में हालांकि व्यक्तिगत गारंटियां ली गई थी लेकिन संपत्ति के विवरण ट्रस्ट के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। ट्रस्ट ने गारण्टरों से आयकर रिटर्न्स भी नहीं लिया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि एसएएसएफ ने कहा था कि जहां भी सम्भव था सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।